न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 09/2015 G.C.M.S. No. 2015/00532 दर्ज दिनांक : 03.03.2015

अपीलार्थिगण:

1. स्व. सिणगारी बेवा हिम्मता के कायम मुकामः–
   गंगादेवी पुत्री सिणगारी पत्नी भंवरसिंहजी कौम पुरोहित निवासी मोरी बेड़ा तहसील सुमेरपुर जिला पाली जरिये मुख्तियार छगनसिंह पुत्र प्रभुसिंहजी जाति राजपुरोहित निवासी बिरामी तहसील सुमेरपुर।
2. स्व. जवारू पुत्र जयरूपजी के कायम मुकाम :–
   अ. छतरसिंह पुत्र जवारूजी कौम पुरोहित
   आ. रघुनाथसिंह पुत्र जवारूजी कौम पुरोहित जरिये मुख्तियार भीमसिंह पुत्र प्रभुसिंहजी जाति राजपुरोहित निवासी बिरामी तहसील सुमेरपुर।
   इ. मथुरादेवी बेवा जवारूजी कौम पुरोहित (फौत–विलोपित) निवासीगण बिरामी तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मूलाराम पुत्र केसारामजी कौम मारू कुम्हार निवासी बांगड़ी तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
2. तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.12.2014 उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 66/2006 (पुराने 24/2005) वादी मूलाराम बनाम प्रतिवादीगण स्व. सिणगारी वगैरह।

उपस्थित–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, राजेन्द्रसिंह विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री पी.एम. जोशी, श्री सी.पी. सिंघानिया विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 66/2006 (पुराने 24/2005) वादी मूलाराम बनाम प्रतिवादीगण स्व. सिणगारी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2014 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेण्ट ने अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एक वाद खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया था कि ग्राम बिरामी के हाल खसरा नम्बर 228 रकबा 9.94 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 8 हैक्टेयर कृषि भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

नजरी नक्शा में दर्शित पड़ोस व मार्क ए.बी.सी, डी को रेस्पोंडेण्ट ने प्रभुलालजी से पंजीबद्ध विक्रय–पत्र दिनांक 29.7.68 प्रदर्श–1 ए एवं विक्रय–पत्र दिनांक 27.7.69 प्रदर्श–2 ए के द्वारा गत खसरा नम्बर 438 में से कुल 50 बीघा भूमि खरीद की थीं। गत खसरा नम्बर 438 का कुल रकबा 168 बीघा 16 बिस्वा था, जिसमें से विक्रेता प्रभुलालजी का 1/3 हिस्सा था। दोनों विक्रय–पत्र 25–25 बीघा के थें। उपरोक्त विक्रय–पत्रों के आधार पर पारित म्यूटेशन बाबत खसरा नम्बर 228 रकबा 9.94 हैक्टेयर में रेस्पोंडेण्ट का 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया और 1/3 हिस्सा अपीलाण्ट संख्या 1 का एवं 1/3 हिस्सा रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 का दर्ज कर दिया, जो गलत है इसलिए उपरोक्त खसरा नम्बर 228 रकबा 9.94 में से 8 हैक्टेयर का वादी को खातेदार घोषित किया जावें। पूर्व में उपरोक्त वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.05 को डिक्री किया गया था, जिसके विरुद्ध अपीलाण्ट की ओर से श्रीमान् के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थीं, जिसके अपील संख्या 2/06 थें। अपील का निर्णय दिनांक 22.8.06 को पारित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए विशिष्ठ निर्देशों के साथ प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः बाद सुनवाई विधिविरुद्ध रूप से पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखते हुए वाद को डिक्री कर दिया, जो पूर्णरूपेण अवैध है। पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को इस आधार पर रिमाण्ड किया गया था कि रेस ज्युडिकेटा के आधार पर तनकी कायम नहीं की गई है, जो किया जाना आज्ञापक था, क्योंकि पूर्व में समान पक्षकारों के बीच समान भूमि के सम्बन्ध में समान अनुतोष हेतु वाद पेश हुआ था और उक्त वाद एकपक्षीय रूप से दिनांक 31.8.94 को निर्णित हुआ था। ऐसी स्थिति में समान अनुतोष, समान भूमि और समान न्यायालय द्वारा समान पक्षकारों के बीच उपरोक्त वाद रेस ज्युडिकेटा के आधार पर पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। इसके साथ–साथ माननीय न्यायालय द्वारा यह भी अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये थें कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और अपील में वर्णित और अंकित विविध बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अन्य कानूनी बिन्दू व तथ्यात्मक बिन्दू पर भी तनकीयात कायम की जावें तथा पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड होने के बाद पुनः दर्ज करने के पश्चात् विधिनुसार अपीलार्थी को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया, न ही श्रीमान् द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों अनुरूप रेस ज्युडिकेटा के अलावा अन्य कोई तनकियात बनाई गई। इस कारण से भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। जिस आधार पर रेस ज्युडिकेटा की तनकी बनाई गई थीं, उपरोक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31.8.94 भी खसरा नम्बर 228 में से 8 हैक्टेयर भूमि को रेस्पोंडेण्ट के खातेदारी की घोषणा और

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

स्थायी निषेधाज्ञा बाबत अपीलाण्ट्स के विरुद्ध ही वाद पेश किया था। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 7 को निर्णित करने हेतु अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि उपरोक्त निर्णय व डिक्री को उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा पारित किया गया है। चूंकि उपरोक्त बिरामी गांव पूर्व में बाली उपखण्ड में था, इसलिए वाद उपखण्ड अधिकारी, बाली के न्यायालय में पेश हुआ था, तत्पश्चात् सुमेरपुर उपखण्ड नया सृजित हुआ और बिरामी गांव सुमेरपुर उपखण्ड में शामिल किया गया। इसलिए पश्चातवर्ती वाद उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के न्यायालय में पेश किया गया। पूर्व निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध थीं। ऐसी स्थिति में रेस ज्युडिकेटा के आधार पर वाद खारिज नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि व तथ्यों के आधार पर भारी भूल की है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.8.94 की पालना हेतु इजराय की मयाद 12 वर्ष ही होती है, जो पूर्व में ही समाप्त हो चुकी थीं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त निर्णय व डिक्री के आधार पर न तो इजराय पेश हो सकती है, न ही पालना हो सकती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में रेस्पोंडेण्ट द्वारा पश्चात्वर्ती क्रम में पुनः उपरोक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था, जो रेस ज्युडिकेटा के आधार पर किसी भी रूप से पोषणीय नहीं था। पूर्व निर्णय एकपक्षीय होने मात्र से ही रेस ज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होने की फाईन्डिंग पूर्णरूपेण अवैध होने से अपास्त योग्य है। आदेश 2 नियम 2 में भी उपरोक्त सन्दर्भ में रेस्पोंडेण्ट को पुनः वाद लाने का कोई अधिकार नहीं हैं। पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 31.8.94 मैरिट पर पारित किए गए हैं। ऐसी स्थिति में धारा 11 सी.पी. सी. अनुरूप वाद किसी भी रूप से पोषणीय नहीं है। इस सन्दर्भ में अपीलाण्ट्स की ओर से आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन भी पेश किया गया था, जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक द्वारा अवैध रूप से इस कारण खारिज कर दिया कि अपीलाण्ट्स के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो रखी हैं और अपीलाण्ट का आदेश 9 नियम 7 का आवेदन खारिज हो रखा है। इसलिए उपरोक्त आवेदन पोषणीय नहीं माना है, साथ ही साथ यह भी फाईन्डिंग दे दी कि आवेदन आदेश 7 नियम 11 के तहत पेश किया गया है। जबकि आवेदन धारा 11 सी.पी.सी. के तहत पेश होना था। ऐसा लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना माईन्ड एप्लाई किए ही उपरोक्त आदेश दिनांक 24.12.05 निर्णित किया था। उपरोक्त वाद में रेस्पोंडेण्ट जिस विक्रेता प्रभुलालजी से भूमि खरीद करना बताया था, उन्हें अथवा उनके वारिसान को जानबूझकर वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। जो कि आवश्यक पक्षकार है। पत्रावली पर भी उपलब्ध साक्ष्य अनुरूप रेस्पोंडेण्ट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं पाया था, ऐसी स्थिति में विक्रेता आवश्यक पक्षकार थें। इसलिए पक्षकार नहीं बनाये जाने से भी वाद खारिज योग्य था। अपीलाण्ट की ओर से स्पष्ट अभिवचन थें कि रेस्पोंडेण्ट का वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

भूमि पर किसी भी रूप से, कभी भी आधिपत्य नहीं रहा है। उपरोक्त सन्दर्भ में तनकी कायम की जाना आवश्यक था और इस बाबत माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित रिमाण्ड निर्णय में फाईन्डिंग भी दी थी, फिर भी तनकियात नहीं बनाई। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोंडेण्ट का कभी भी किसी भी सूरत में कब्जा व काश्त नहीं रहा था। इस कारण से रेस्पोंडेण्ट वादी को कभी भी विधिनुसार खातेदारी हक–हकूक, अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। बिना आधिपत्य के खातेदारी घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद भी विधिक रूप से पोषणीय नहीं रहता है। कब्जा प्राप्ति का वाद लाये बिना वाद विधिक रूप से पोषणीय नहीं था। इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अवैध होने से अपास्त योग्य है। कब्जा प्राप्ति का वाद लाये बिना वाद पोषणीय नहीं होने से बाबत कोई तनकी कायम नहीं की गई, जबकि इस सन्दर्भ में तनकी कायम किया जाना आवश्यक था। इसके अलावा 12 वर्षो से अधिक समय से रेस्पोंडेण्ट का कभी भी आधिपत्य नहीं रहा था। ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेण्ट के समस्त प्रकार के हक हकूक, अधिकार धारा 63 (1) (पअ) राज. टिनेन्सी एक्ट अनुसार निर्वापित हो चुके हैं। इस कारण भी वाद खारिज योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का न तो अनुशीलन किया गया, न ही विवेचन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से रेस्पोंडेण्ट द्वारा कोई जिरह नहीं की गई थीं। इसलिए अपीलाण्ट के बयान अखण्डनीय रहे थें, जिसे नहीं मानने का अधीनस्थ न्यायालय के पास कोई कारण नहीं था, फिर भी अपीलाण्ट की साक्ष्य को नहीं मानकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की हैं, जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की–

1. 2018-19 RRT 573
2. 2015 (3) DNJ 1010
3. 2014 DNJ 714 (S.C.)
4. 2019 (2) RRT 1321
5. 2017 (1) RRT 178

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा अपने पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की–

1. 2015 (1) RRT 655
2. 2010 (1) RRT 89

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. 2011 (1) RRT 386 (S.C.)
4. 2007 (1) RRT 92

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्यक न्याय–निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से अपीलांट्स के विरूद्ध वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2014 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं।
2. अपीलाधीन निर्णय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए है–
   1. आया मौजा बिरामी के पुराने खसरा नंबर 438 रकबा 163–16 बीघा के खातेदार प्रभुलाल पुत्र जैरूप ने अपने 1/3 हिस्से में से 50 बीघा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 29.07.1968 एवं 27.07.1969 के द्वारा वादी को बेचान कर दिया था ?.......... जिम्मे वादी।
   2. आया वादी की खरीदशुदा कृषि भूमि के हाल सेटलमेंट संवत 2037 के बाद नये खसरा नंबर 228 हुए हैं ? .... जिम्मे वादी।
   3. आया हाल खसरा नंबर 228 रकबा 9.94 हैक्टेयर में से 8.00 हैक्टेयर के खातेदारी हक वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी है ?..... जिम्मे वादी।
   4. आया वादी हाल खसरा नंबर 228 रकबा 9.94 हैक्टेयर में से 8.00 हैक्टेयर भूमि बाबत स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने का अधिकारी है ?...... जिम्मे वादी।
   5. आया वादग्रस्त कृषि भूमि को प्रभुलाल ने वादी को बेचान कर कब्जा सुपुर्द नहीं किया व न ही वादी के नाम खातेदारी में कोई इन्द्राज हुआ। जिस कारण वादी का वाद काबिल खारिज है ?...... जिम्मे प्रतिवादी।
   6. आया वादी का वाद रेस ज्यूडिकेटा की परिभाषा में आने से चलने योग्य नहीं हैं?. ...... जिम्मे प्रतिवादी।
   7. अनुतोष ?

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में विवाद्यक संख्या 6 आरंभिक विवाद्यक की श्रेणी में आता है। जो तथ्य व विधि का मिश्रित प्रश्न है तथा उक्त विवाद्यक पर संपूर्ण वादपत्र निर्भर है। अतः हम अपील के अन्य बिन्दुओं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में विवेचित व निर्णित अन्य विवाद्यकों के विवेचन, परीक्षण एवं निर्णयन से पूर्व सर्वप्रथम विवाद्यक संख्या 6 जो रेस ज्यूडिकेटा से संबंधित है, के संबंध में न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा किए गए विवेचन व निर्णयन का संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में परीक्षण एवं निर्णयन करना आवश्यक व उचित समझते हैं। जो निम्नानुसार है–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक का विवेचन करते हुए अंकित किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में यह उज्र लिया गया है कि वादी द्वारा इस वादपत्र से पूर्व प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद लाया गया था। जिसका निर्णय दिनांक 31.08.1994 को इसी न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। इसलिए वादी द्वारा समान विवाद्यक तथ्यों, समान पक्षकारों व समान वाद कारण के आधार पर पुनः वाद नहीं ला सकता। जो रेस ज्यूडिकेटा के प्रावधान पूर्णतः लागू होते हैं। इस तर्क के समर्थन में अधिवक्ता प्रतिवादी ने न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली की निर्णित पत्रावली राजस्व वाद संख्या 91/1992 बअनवान मूलाराम बनाम मु. सिणगारी वगैरह वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.1994 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की। प्रतिवादी के उल्लेखित अभिकथनों व तथ्यों के विपरीत अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया कि वादी द्वारा पूर्व में प्रश्नगत कृषि भूमि बाबत प्रस्तुत किए गए वादपत्र को न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली द्वारा दिनांक 31.08.1994 को एकपक्षीय निर्णित किया था। जो मैरिट पर निर्णित नहीं होने से इस पत्रावली पर रेस ज्यूडिकेटा के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा न ही आदेश 2 नियम 2 सीपीसी के तहत सक्षम अनुमति की आवश्यकता रहती हैं।

अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा विवाद्यक संख्या 6 रेस ज्यूडिकेटा के संबंध में अपने निष्कर्ष "हमारी विधिक राय अनुसार एक ही विषयक स्थिति की कृषि भूमि बाबत दोनों वाद पत्रावलियों में एकपक्षीय निर्णय हुआ है। जिस कारण इस वाद पत्रावली पर रेस ज्यूडिकेटा के प्रावधान लागू नहीं होते हैं एवं न ही आदेश 2 नियम 2 सीपीसी के तहत सक्षम अनुमति की आवश्यकता रहती हैं। फलतः यह तनकी विधि के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादीगण साबित कराने में असफल रहने से उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तनकी बतौर निष्कर्ष के बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती हैं।'' के साथ प्रकरण को रेस ज्यूडिकेटा से बाधित नहीं होना माना है।

रेस ज्यूडिकेटा के संबंध में विधिक स्थिति व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में निम्नानुसार उपबंधित है–

धारा 11. पूर्व–न्याय– कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।

अतः स्पष्ट है कि पूर्व न्याय अर्थात रेस ज्यूडिकेटा के लिए पूर्ववर्ती वादपत्र एवं पश्चातवर्ती वादपत्र में विवाद्य विषय, दावाकृत अनुतोष, पक्षकार सारतः व प्रत्यक्षतः एकसमान होना आवश्यक है।

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2014 से संबंधित वादपत्र राजस्व वाद संख्या 66/2006 (पुराना नंबर 24/2005) वादी मूलाराम द्वारा प्रतिवादीगण स्वर्गीय सिणगारी बेवा हिमता के कायम मुकाम गंगादेवी पुत्री सिणगारी पत्नि भंवरसिंह एवं स्वर्गीय जवारू पुत्र जैरूप जी के कायम मुकाम छतरसिंह, रघुनाथसिंह व मथुरादेवी के विरूद्ध ग्राम बिरामी तहसील सुमेरपुर जिला पाली में स्थित वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नंबर 438 रकबा 163–16 बिस्वा के खातेदार प्रभुलाल पुत्र जैरूप से उसके 1/3 हिस्से में से 50 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 29.07.1967 व 27.07.1969 द्वारा क्रय करने, जिसके सेटलमेंट संवत 2037 के बाद नये खसरा नंबर 228 रकबा 9.94 हैक्टेयर के आधार पर उक्त आराजी में से 8 हैक्टेयर कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जो दिनांक 05.07.2005 को दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 31.12.2014 को निर्णित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध एवं प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती वादपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मूलाराम द्वारा प्रतिवादी सिणगारी बेवा हिमता एवं स्वर्गीय जवारू पुत्र जैरूप के कायम मुकाम छतरसिंह, रघुनाथसिंह व मथुरादेवी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उपखंड अधिकारी बाली के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ न्यायालय का राजस्व वाद संख्या 91/1992 है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.1994 द्वारा वादपत्र स्वीकार करते हुए डिक्री किया गया। उक्त पूर्ववर्ती वादपत्र वादी मूलाराम द्वारा ग्राम बिरामी तहसील बाली जिला पाली में स्थित हाल खसरा संख्या 228 कुल रकबा 9.24 हैक्टेयर के पूर्व खसरा नंबर 438 कुल रकबा 163–16 बिस्वा में से खातेदार प्रभुलाल पुत्र जैरूपजी के 1/3 हिस्से की भूमि में से प्रभुलाल पुत्र जैरूपजी से पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 29.07.1968 द्वारा 25 बीघा व बेचान दिनांक 27.06.1969 द्वारा 25 बीघा कुल 50 बीघा भूमि क्रय कर लेने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात साक्ष्य वादी ली जाकर वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम बिरामी के खसरा नंबर 228 कुल रकबा 9.24 हैक्टेयर में से वादी को उनके कब्जे के अनुरूप 8 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया गया।

इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि वादी रेस्पोंडेंट मूलाराम द्वारा एकसमान आधार पर अर्थात पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 29.07.1968 व दिनांक 27.06.1969 के आधार पर पूर्ववर्ती वादपत्र संख्या 91/1992 एवं हस्तगत पश्चातवर्ती वादपत्र संख्या 66/2006 (पुराने नंबर 24/2005) प्रस्तुत किया। दोनों वादपत्रों में वादग्रस्त आराजी एकसमान है। अर्थात ग्राम बिरामी के पुराने खसरा संख्या 438 कुल रकबा 163–16 बिस्वा एवं हाल खसरा संख्या 228 कुल रकबा 9.24 हैक्टेयर में से 8 हैक्टेयर कृषि भूमि। दोनों वादपत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत दावा किया गया तथा दोनों वादपत्रों में वादी व प्रतिवादीगण एकसमान है। चूंकि पूर्व में ग्राम बिरामी तहसील बाली उपखंड बाली का भाग था। अतः तत्समय सक्षम न्यायालय उपखंड अधिकारी/सहायक कलक्टर बाली था। तत्पश्चात नवीन न्यायालय उपखंड अधिकारी/सहायक कलक्टर सुमेरपुर के सृजन से ग्राम बिरामी उपखंड क्षेत्र सुमेरपुर के अंतर्गत समाहित हुआ। अतः क्षेत्राधिकार प्राप्त सक्षम न्यायालय भी एकसमान है। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती निर्णित प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के उपरांत वादी की साक्ष्य ली जाकर प्रकरण गुणावगुण के आधार पर वादी रेस्पोंडेंट मूलाराम के पक्ष में निर्णित व डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हुआ था। अतः ऐसी स्थिति में वादी रेस्पोंडेंट मूलाराम को यह उज्र लेने का कानूनन कोई अधिकार नहीं हैं कि पूर्ववर्ती वादपत्र एकपक्षीय निर्णित होने से रेस ज्यूडिकेटा लागू नहीं हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि पूर्ववर्ती निर्णित व डिक्री वादपत्र संख्या 91/1992 न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी बाली एवं हस्तगत पश्चातवर्ती वादपत्र संख्या 66/2006 (पुराने नंबर 24/2005) सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी सुमेरपुर में पक्षकारान, विवादित आराजी, वांछित अनुतोष एवं विवाद के विषय प्रत्यक्षतः व सारतः एकसमान होने से वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 मूलाराम को न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी सुमेरपुर में पश्चातवर्ती हस्तगत वादपत्र संख्या 66/2006 (पुराने नंबर 24/2005) बअनवान मूलाराम बनाम स्वर्गीय सिणगारी वगैरह प्रस्तुत करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं था। वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 मूलाराम द्वारा प्रस्तुत पश्चातवर्ती हस्तगत वादपत्र संख्या 66/2006 (पुराने नंबर 24/2005) बअनवान मूलाराम बनाम स्वर्गीय सिणगारी वगैरह पूर्व न्याय (रेस ज्यूडिकेटा) से बाधित है। अतः इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा किया गया विवेचन एवं निष्कर्ष विधिसम्मत नहीं होने से इसे अपास्त करते हुए उक्त विवाद्यक बखूबी साबित होने से इसे प्रतिवादीगण अपीलांट के पक्ष में व रेस्पोंडेंट संख्या 1 वादी मूलाराम के विरूद्ध निर्णित किया जाता है। फलस्वरूप वाद वादी पूर्व न्याय (रेस ज्यूडिकेटा) से बाधित होने से अपील में लिए गए अन्य उजरात के संबंध में किसी और विवेचन व निर्णयन की आवश्यकता नहीं हैं।

अतः हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 वादी मूलाराम द्वारा प्रस्तुत पश्चातवर्ती हस्तगत वादपत्र संख्या 66/2006 (पुराने नंबर 24/2005) बअनवान मूलाराम बनाम स्वर्गीय सिणगारी वगैरह पूर्व न्याय (रेस ज्यूडिकेटा) से बाधित होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2014 पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2014 अपास्त करते हुए वाद वादी पूर्व न्याय से बाधित होने से खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखंड अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 66/2006 (पुराने 24/2005) वादी मूलाराम बनाम प्रतिवादीगण स्व. सिणगारी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2014 को अपास्त किया जाकर वाद वादी अंतर्गत धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पूर्व न्याय (रेस ज्यूडिकेटा) से बाधित होने से वादपत्र खारिज/अस्वीकार किया जाता है। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री पृथक से जारी हों, जो इस निर्णय का भाग होगा। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

डिक्री ब सीगे अपील

(आदेश 41 नियम 35 व्यवहार प्रक्रिया संहिता)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

बइजलास डॉ. भास्कर बिश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या : 09/2015 **G.C.M.S. No.** 2015/00532 दर्ज दिनांक : 03.03.2015

अपीलार्थिगण:

1. स्व. सिणगारी बेवा हिम्मता के कायम मुकाम:–
गंगादेवी पुत्री सिणगारी पत्नी भंवरसिंहजी कौम पुरोहित निवासी मोरी बेड़ा तहसील सुमेरपुर जिला पाली जरिये मुख्तियार छगनसिंह पुत्र प्रभुसिंहजी जाति राजपुरोहित निवासी बिरामी तहसील सुमेरपुर।
2. स्व. जवारू पुत्र जयरूपजी के कायम मुकाम :–
अ. छतरसिंह पुत्र जवारूजी कौम पुरोहित
आ. रघुनाथसिंह पुत्र जवारूजी कौम पुरोहित जरिये मुख्तियार भीमसिंह पुत्र प्रभुसिंहजी जाति राजपुरोहित निवासी बिरामी तहसील सुमेरपुर।
इ. मथुरादेवी बेवा जवारूजी कौम पुरोहित (फौत–विलोपित)
निवासीगण बिरामी तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मूलाराम पुत्र केसारामजी कौम मारू कुम्हार निवासी बांगड़ी तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
2. तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.12.2014 उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 66/2006 (पुराने 24/2005) वादी मूलाराम बनाम प्रतिवादीगण स्व. सिणगारी वगैरह।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री राजेन्द्रसिंह विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट तथा श्री पी.एम. जोशी, श्री सी. पी. सिंघानिया विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 66/2006 (पुराने 24/2005) वादी मूलाराम बनाम प्रतिवादीगण स्व. सिणगारी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2014 को अपास्त किया जाकर वाद वादी अंतर्गत धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पूर्व न्याय (रेस ज्यूडिकेटा) से बाधित होने से वादपत्र खारिज/अस्वीकार किया जाता है।

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज दिनांक 27.03.2025 को जारी किया गया।

मुहर अदालत

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
हुक्मनामा	शून्य	शून्य			
मतफर्रिक					
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली